

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 — ज्येष्ठ 1, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2021

अधिसूचना
सं. 91/2020-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-28/2021/वाक/पांच(30).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 168क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 35/2020-राज्य कर क्रमांक एफ 10-83/2020/वाक/पांच(118) दिनांक 19 नवम्बर 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 615 तारीख 1 दिसम्बर 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना को दिसम्बर, 2020 के पहले अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में,—

- (i) “नवंबर, 2020 के 29वें” अंकों और शब्दों के स्थान पर “मार्च, 2021 के 30वें” अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) “नवंबर, 2020 के 30वें” अंकों और शब्दों के स्थान पर “मार्च, 2021 के 31वें” अंक और शब्द रखे जाएंगे;

2. इस अधिसूचना को दिसम्बर, 2020 के पहले दिन से लागू माना जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2021

क्रमांक एफ 10-28/2021/वाक/पांच(30).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-28/2021/वाक/पांच(30), दिनांक 10-05-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 10th May 2021

NOTIFICATION
No. 91/2020 – State Tax

No. F-10-28/2021/CT/V(30).— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the State Government in the Commercial Tax Department, Notification No. 35/2020-State Tax, No. F 10-83/2020/CT/V(118) dated the 19th November, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 615 dated the 1st December, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in the proviso to clause (i),

- (i) for the words, figures and letters "29th day of November, 2020", the words, figures and letters "30th day of March, 2021" shall be substituted.
 - (ii) for the words, figures and letters "30th day of November, 2020", the words, figures and letters "31st day of March, 2021 shall be substituted
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of December, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.